



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, लेखा भवन झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) - 474 002
Office of the Accountant General (A&E)-II Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) - 474 002

पत्र क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड-10 / 2022-23 /

दिनांक:- 26/07/2022

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

1. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/परिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।
2. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/परिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।
3. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/परिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।
4. विषय:- पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
5. विषय:- छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
6. विषय:- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

संदर्भ:- (I) उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा.नि.-वे.आ.) अनुभाग-7, संख्या:- /XXVII (7) 02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2022

(II) विषय (6) से संबंधित कार्यालय ज्ञाप का शुद्धि पत्र।

(III) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन कौलागढ़, देहरादून- 248195 का पत्र क्रमांक PA/Pension/Uttarkhand/DA-Relief/2022-23/710, dated : 06-07-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-10/2022-23/

दिनांक:- /07/2022

प्रतिलिपि:- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून-248195 के पत्र दिनांक 06.07.2022 के संबंध में सूचनार्थ।

—Sd/—
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक:-पी.ए./पेंशन/मंहगाईराहत/उत्तराखण्ड/2022-23/710

दिनांक: 06/07/2022

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गोवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27.	वेतन एवं लेखाधिकारी-V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	500004
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

Sh. Hemant (PA)

14/7/22



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड महंगाई राहत/22-23/ 7/10

दिनांक 6/07/2022

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

1. **विषय:-** राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
2. **विषय:-** राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
3. **विषय:-** राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
4. **विषय:-** पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों /उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
5. **विषय:-** छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों /उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
6. **विषय:-** राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

संदर्भ:- (I) उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा०नि०-वे०आ०) अनुभाग-7, संख्या:- /XXVII

(7)02/2016 देहरादून दिनांक: 31.05.2022

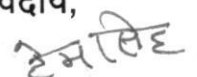
(II) विषय (6) से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप का शुद्धि पत्र

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि, उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

1/37008/2022

1/37008/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 31 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No. /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated: May, 2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 6th / 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-327 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2022 से 368 प्रतिशत के स्थान पर 381 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2022 @ 381% instead of 368% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 327/XXVII (7)02/2016 Dated 24 December, 2021 for those pensioners whose pension is not revised in accordance with the recommendation of the 6th / 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

कार्यालय महालेखाकार (लोक सेवा विभाग)
हायरी सं. 565

15 JUN 2022

हस्ताक्षर

उत्तराखण्ड, देहरादून

DR

Sh. Ramesh

DR-31

28/6/22

2022

5/2022

(सौजन्या)
सचिव।(Sowjanya)
Secretary.

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016. तददिनांक। No (1)/XXVII(7)02/2016. above dated.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
1. Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
2. All Additional Chief Secretary/Principal Secretaries/Secretaries/Secretary Incharge, Govt. of Uttarakhand.
3. Principle Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
4. All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
5. All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
7. Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
10. Director, NIC Dohradun.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय-जाप

✓ **विषय:** छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-328/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2021 मूल वेतन का 196% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/3(1)/2018-ई.II(बी)दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-01-2022 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 196% को बढ़ाकर 203% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-05-2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

(सौजन्या)
सचिव।

7/2022

6/2022

संख्या- (1)/xxvii(7)02/2016. तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad

Date: 23-05-2022 13:26:41

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

/37010/2022

/37010/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सांनि-वेआओ)अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 21 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे शिविल/पारिवारिक
पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की
संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को
महंगाई राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated May, 2022
31

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such
civil/family pensioners of the State
Government whose pension is revised in
accordance with the recommendation of
the 7th pay Commissions.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी
पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में
पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-325 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए
दिनांक 01-01-2022 से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34th
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 34% instead of 31 %
superseding the earlier rates as is sanctioned vide this
Office Memorandum No. 325/XXVII(7)02/2016 Dated
29 December, 2021 for those pensioners whose pension
is revised in accordance with the recommendation of the
7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 2. These orders will not be applicable to the
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, judges of High Court, Chairman and Members of
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
शिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके Pensioners of local bodies and Public Undertaking
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत Corporation etc. in respect of whom separate orders will
होना अपेक्षित होगा। have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा विभाग 3. These orders will also be applicable to such
के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के teaching and non-teaching pensioners of Institutions
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के aided from State under the Education/Technical
सम्बन्ध पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू Education Department whose Pension/Family Pension is
होगे। at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-282 4. As per orders issued in O.M. No-A-1-
/48/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत 252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतानों को General Authority is not necessary for payment of relief
जिसे मंडलमेन्सकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। of pension and as such the payment, of dearness relief as
अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप 5. admissible under, this O.M.

5. स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप 5. Other terms and conditions regarding of
के अधीन कर दिया जाय। dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अगम
प्रक्रिया जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्दिष्ट है, मर्यादित लागू रहेंगे।

(सौजन्या)
सचिव।

(Sowjanya)
Secretary.

संख्या- /XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

No. /XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2- All Additional Chief Secretarys/ Principal Secretarys/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमत्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.

5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।

7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.

8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.

9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

10- Director, NIC Dehradun.

आज्ञा से,

By Order,

Signed by Ganga Prasad

Date: 23-05-2022 13:28:55

अपर सचिव।

(Ganga Prasad)
Additional
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- 86 / XXVII(7)02 / 2016
देहरादून: दिनांक 03 मई, 2022

शुद्धि-पत्र

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37013/2022 में टंककीय त्रुटिवश दिनांक 31 मई, 2021 तकित हो गया है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-37013/2022 में दिनांक 31 मई, 2021 के स्थान पर दिनांक 31 मई, 2022 पढ़ा एवं समझा जाय।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या-37013/2022 में दिनांक 31 मई, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय-ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् हैं।

Signed by Ganga Prasad

Date: 03-06-2022 11:21:47

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

संख्या- 86 (1) / XXVII(7)02 / 2016. तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-324/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31% की दर से प्रतिमाह मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2/2022-E-II(B) दिनांक 31 मार्च, 2022 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% को बढ़ाकर 34% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मई, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/37009/2022

1/37009/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-326/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से छठवें और सातवें केन्द्रीय वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2021 से पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में मूल वेतन का 368% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/3(2)/2008-ई.II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांचवे वेतनमान में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-01-2022 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 368% को बढ़ाकर 381% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान पांचवा वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-05-2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

37003/2022

37003/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक-31 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 31 May, 2022

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक
पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की
संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है,
को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such
civil/family pensioners of the State
Government whose pension is not revised
according with the recommendation of the
7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी
पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में
पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-329 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए 29
दिसम्बर, 2021 के स्थान पर 203 प्रतिशत के स्थान पर 203
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री 7th
pay Commissions .
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 203% instead of 196%
superseding the earlier rates as is sanctioned vide this
Office Memorandum No. 329/XXVII(7)02/2016 Dated
29 December, 2021 for those pensioners whose pension
is not revised according with the recommendation of the
7th pay Commissions .

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत
किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the
judges of High Court, Chairman and Members of
Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
Pensioners of local bodies and Public Undertaking
Corporation etc. in respect of whom separate orders will
have to be issued by respective department.

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग
के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के
समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू
होंगे।

4. These order will also be applicable to such
teaching and non-teaching pensioners of Institutions
aided from State under the Education/Technical
Education Department whose Pension/Family Pension is
at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252
/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के
लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप
के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-
252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
General Authority is not necessary for payment of relief
of pension and as such the payment, of dearness relief as
admissible under, this O.M.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of
dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

(सौजन्या)

(Sowjanya)

सचिव।

Secretary.

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

No (1)/XXVII(7)02/2016, the dated.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. - प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. - समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. - निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. - समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. - उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियों मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. - निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
1. - Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
2. - All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
3. - Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
4. - All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
5. - All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
6. - Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.
7. - Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. - All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. - Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.